

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि./16/751-70 जयपुर, दिनांक 21.08.2019

आदेश


अभियोजन निदेशालय के आदेश स. 3-6(1)स्था./मंत्रा/अभि./19/10898-954 दिनांक 14.08.19 द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	वि0वि0
1.	श्री जसवंत सिंह चन्द्रावत प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. स0नि0अ0, बूंदी	कार्या. स0नि0अ0, कोटा	श्री श्रवण मीणा के स्थान पर (प्रशा. अधि. के पद के विरुद्ध पदस्थापित)
2.	श्री सतीश कुमार मित्तल प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. स0नि0अ0, हनुमानगढ़	कार्या. स0नि0अ0, जोधपुर	रिक्त पद पर
3.	श्री सीताराम प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. स0नि0अ0, अजमेर (प्रशा. अधि. के पद विरुद्ध)	कार्या. स0नि0अ0, अजमेर	रिक्त पद पर
4.	श्री कमलेश कुमार आत्रेय प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. स0नि0अ0, जयपुर देहात	अभियोजन निदेशालय, जयपुर	रिक्त पद पर

इसके अलावा निम्न मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	वि0वि0
1.	श्री श्रवण मीणा, अति. प्रशासनिक अधिकारी	कार्या. स0नि0अ0, कोटा	कार्या. स0नि0अ0, बूंदी	रिक्त पद पर
2.	श्री कैलाश प्रसाद मीणा अति. प्रशासनिक अधिकारी	अभियोजन निदेशालय, जयपुर (संस्थापन अधिकारी के पद के विरुद्ध)	अभियोजन निदेशालय, जयपुर	रिक्त पद पर (श्री अरुण कच्छवाहा की 30.08.19 को सेवानिवृत्ति से)

श्री कैलाश प्रसाद मीणा, अति. प्रशासनिक अधिकारी का पदस्थापन/स्थानान्तरण 01.09.19 से प्रभावी होगा। संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(एस.एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
3. संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
7. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर